रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 22?

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 2, 1970/श्रावण 11, 1892

No. 141 NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 2, 1970/SRAVANA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August 1970

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICE COMMISSION (CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBERS) RULES, 1970.

G.S.R. 1122.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short-title.**—These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970.

2. **Definitions.**—In these rules,—

(a) "Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Commission;

(c) "Commission" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, established under section 5 of the Act;

(d) "form" means a form specified in the Schedule to these rules;

(e) "Judge" includes the Chief Justice, an acting Chief Justice, an Additional Judge and an acting Judge;

(f) "member" means a member of the Commission.

3. **Remuneration, allowances, etc. of Chairman.**—(1) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman or member shall be paid such salary which together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(2) Where the Chairman or member retires from service as a Judge of the Supreme Court or of a High Court during the term of office of such Chairman or member, he shall be paid for the period he serves as Chairman or member after retirement, such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement.

(3) A person, not being a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be paid a salary of rupees three thousand five hundred per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of the first grade.

4. **Remuneration, allowances of members.**—A person, not being a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as a member shall be paid a salary of rupees three thousand per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of the first grade.

5. **Travelling and daily allowances.**—(1) If the Chairman or a member is a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, or as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Commission at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court, or the High Court.

(2) If the Chairman or any member is not a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Commission at the same rates as are admissible to a Government officer of the first grade.

6. **Leave.**—A person, not being a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as Chairman or member, shall be eligible to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Revised Leave Rules, 1933;

Provided that where a Government officer to whom the Revised Leave Rules, 1933 are not applicable is appointed as a member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

7. **Oaths of office and of secrecy.**—(1) Every person appointed to be the Chairman shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the President of India, in Form I and Form II respectively.

(2) Every person appointed to be a member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the Chairman in Form I and Form II respectively.

THE SCHEDULE

FORM I

(*See* Rule 7)

Form of oath of office for the Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission:—

"I, A. B., having been appointed as Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission do swear in the name of God / Solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman/member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

FORM II

(*See* Rule 7)

Form of oath of secrecy for Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission:—

"I, A. B., having been appointed as Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission do swear in the name of God / Solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/member of the said Commission except as may be required for the due discharge of my duties as Chairman/member."

[No. F.1/2/70-M(P).]

B. P. ROY,
Officer on Special Duty.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1970

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष और सदस्य को सेवा की शर्तें) नियम, 1970

सा० का० नि० 1122—एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम** : ये नियम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (अध्यक्ष और सदस्य को सेवा की शर्तें) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. **परिभाषाएं** .—इन नियमों में—

(क) "अधिनियम" से एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "न्यायाधीश" के अन्तर्गत मुख्य न्यायमूर्ति, कोई कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति, कोई अपर न्यायाधीश, और कोई कार्यकारी न्यायाधीश है ;

(च) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ।

3. **अध्यक्ष के पारिश्रमिक, भत्ते आदि**.—(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को ऐसा सम्बलम् संदत्त किया जाएगा

जो उसकी पेंशन और किसी अन्य प्रकार की निवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन सहित उसके द्वारा सेवा निवृत्ति से पूर्व लिए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा। वह ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जैसा कि यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवा कर रहे न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।

(2) जब अध्यक्ष या सदस्य को, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा से ऐसे अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि के दौरान निवृत्ति हो तो निवृत्ति के पश्चात् उसको उस कालावधि के लिए ऐसा सम्बलम् संदत्त किया जाएगा जो उसको पेंशन और किसी अन्य प्रकार की निवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन सहित उसके द्वारा सेवा निवृत्ति से पूर्व लिए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(3) किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सेवारत या सेवा से निवृत न्यायाधीश न होने पर उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर प्रति मास तीन हजार पांच सौ रुपए का सम्बलम् संदत्त किया जाएगा और वह ऐसा भत्ता पाने का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय हो ।

4. **सदस्यों का पारिश्रमिक भत्ता**—किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सेवारत या सेवा से निवृत न्यायाधीश न होने पर उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति पर प्रति मास तीन हजार रुपए का सम्बलम् संदत्त किया जाएगा और वह ऐसा भत्ता पाने का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय हो ।

5. **यात्रा और दैनिक भत्ते**.—यदि अध्यक्ष या सदस्य उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से सेवारत या सेवा निवृत न्यायाधीश हो तो वह उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के अधीन या यथास्थिति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उसके द्वारा आयोग के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उन दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हो ।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीश न हो तो वह, उसके द्वारा आयोग के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उन दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय हो ।

6. **छुट्टी** .—किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से सेवारत न्यायाधीश न होने पर, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर वह ऐसा छुट्टी लेने का पात्र होगा जो पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933 के अधीन किसी सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय हो ।

परन्तु जहां कोई ऐसा सरकारी अधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसको पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933 लागू नहीं है वह ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसको लागू नियमों के अधीन छुट्टी पाने का पात्र होगा ।

7. **पद की और गोपनीयता की शपथ.**—(1) अध्यक्ष नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व क्रमशः प्ररूप I और II में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षरित करेगा ।

(2) सदस्य नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व क्रमशः प्ररूप I और प्ररूप II में अध्यक्ष के समक्ष पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षरित करेगा ।

अनुसूची

प्ररूप I

(नियम 7 देखें)

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप :—

"मैं, क ख, जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में भय या पक्षपात,

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा न करता

अनुराग या द्वेष के बिना, अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और निर्णय से अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा ।"

प्ररूप II

(नियम 7 देखें)

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप :—

"मैं, क ख, जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उक्त आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता

मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।"

[सं० फा० 1/2/70-म(प)]

बी० पी० राय,
विशेषाधिकारी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970